

**FORM-1**  
(for linear projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No---493/XIV - ALC II/2021, दिनांक 08 दिसंबर

Dated---30.6.2021

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.69 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Const Div P.W.D. Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district** falls within jurisdiction of **Shivpuri to Jajal village(s)** in **Gaja** tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.69 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VII) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Encl: As above.**

By  
T.H.N.R.  
SDM  
Narendranagar

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

**SDM**  
**NARENDRA NAGAR**

## OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Eva Ashish Srivastava I.A.S District Magistrate Tehri Garhwal** on dated 30/06/2021 at time .....at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **4.69** hect for the construction of **Honorable Chief minister announcement No. 305/2014 land transfer proposal for construction of motor road from Shivpure to Jajal (Dooble lane) in legislative assembly N.Nagar** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:.....

Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee


टिहरी गढ़वाल।

## Encl.-01

It is Further certified that- Minutes of Meeting of Construction of Shivpuri Jajal Dabul Lane Motor Road Motor Road (Length 7.25 Km) regarding FRA is as following:-

S.N.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.69 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII).	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
टिहरी गढ़वाल



श्रीमती सरिता सैतेला  
सदस्य


जिला पंचायत

वार्ड नं०-42 जयकोट (टि० ग०)

समग्र कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

  
जिलाधिकारी

नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

  
प्रमोद कुमार वनाधिकारी  
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग  
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

CS

  
जिलाधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)



## प्रारूप (30.20)

आज दिनांक 15/10/2020 को राज्य योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	युक्ता मिश्र	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल
2	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी (रेवेन्यू)
3	श्री राहुल प्रताप सोनी देवी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर (टिहरी-गढ़वाल)
4	श्री हरीश जोशी	सदस्य बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत नरेन्द्रनगर	हरीश जोशी सदस्य क्षेत्र पंचायत-दौन्देली-12 वि० ख०-नरेन्द्रनगर (टि० न०)

1  
01/10/2020  
Jawla

Bmhi  
राज्य उप निरीक्षक  
क्षेत्र- जोडाश  
गजाल- गजाल  
11/10/2020

## प्रारूप-30.3

परियोजना का विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पसर

तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 14.4 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.28 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.385 हे० नापभूमि एवं मक डिस्पोजल 0.329 हे०) अर्थात् कुल 14.69 हे० वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पसर द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा पसर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर को शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जिला पंचायत सदस्य

दयाल सिंह राबत  
सदस्य जिला पंचायत  
43, मेतण (नरेन्द्र नगर)  
जिला-टिहरी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत सदस्य

राबत सिंह  
सदस्य- क्षेत्र पंचायत जोडाडा  
वि० ख०-नरेन्द्रनगर (वि० ग०)

ग्राम प्रधान



राज्य उप निरीक्षक

क्षेत्र- जोगड़ा


तहसील- गज्ज

जिला- टिहरी

11/01/2020


## प्रारूप-30.4

दिनांक ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत- पसर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	Devendra Singh.	
2	चत्तर सिंह	चत्तर सिंह
3	प-फा देवी	पञ्जा देवी
4	गणेश सिंह	गणेश सिंह
5	शिवन सिंह	शिवन सिंह
6	Dinesh Singh	Dinesh
7	अनिल सिंह	Anil Singh.
8	चत्तर सिंह	चत्तर सिंह
9		
10		


जिला पंचायत सदस्य  
दयाल सिंह रावत  
बदरगढ़ जिला पंचायत  
43, मैतण (नरेन्द्र नगर)  
जिला-टिहरी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत सदस्य

  
राजेश सिंह  
सदस्य- क्षेत्र पंचायत जोडाडा  
वि० ब०-नरेन्द्रनगर (वि० न०)

ग्राम प्रधान



  
राजेश सिंह  
क्षेत्र- जोडाडा  
जिला- 2147  
वि० न०



## प्रारूप-30.3

परियोजना का विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रौन्देली  
तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल


### अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.41 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.28 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.305 हे० नापभूमि एवं मक डिस्पोजल 0.323 हे०) अर्थात् कुल 4.669 हे० वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौन्देली द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा रौन्देली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर को शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


जिला पंचायत सदस्य  
  
श्रीमती सरिता रौतेला  
सदस्य  
जिला पंचायत  
वार्ड नं०-42 जयकोट (टि० ग०)

क्षेत्र पंचायत सदस्य  
  
हरीश जोशी  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत-रौन्देली-12  
वि० ख०-नरेन्द्रनगर (टि० ग०)

ग्राम प्रधान



  
01/09/2020  
Ten Jang

  
राज्य उप निरीक्षण  
क्षेत्र- कोटा  
तहसील- गाला

11/11/2020

## प्रारूप-30.4

दिनांक ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत- रौन्देली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गदिह सज्जन	
1	श्रीधरपाल सज्जन	
2	श्री गदिह	
3	बन्धन गदिह	
4	श्री गदिह	केवल गदिह
5	इकमल गदिह	इकमल गदिह
6	पानधन रामा	
7	Kumhar Singh Ram	
8	सज्जन देवी	सज्जन
9	सिद्धार्थ रामा	
10	विने 2 गदिह	

श्रीमती सरिता रौतेला  
सदस्य  
जिला पंचायत  
वार्ड नं०-42 जयकोट (टि० ग०)

जिला पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य

हरीश जीशी  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत-रौन्देली-12  
वि० ख०-नरेन्द्रनगर (टि० ग०)

रामधन उग्र निरीक्षक  
क्षेत्र- जोगडा  
तहसील- गामा  
दिनांक 11/10/2020  
ग्राम प्रधान

